न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश, जायल(नागौर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्यामसुंदर **बनाम** रामकरण दीवानी वाद संख्या 11/2014(17/2023) पेज सं. 1/3	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 14(3) दिनांक 25.08.2025 व धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम दिनांक 21.04.2025 पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी का तर्क रहा है कि भूखण्ड संख्या 7 व 23 का इकरारनामा ताराचंद द्वारा गवाह जगदीश के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है तथा भूखण्ड संख्या 8 व 24 के संबंध में रामकरण, संतोष व मोटाराम के विरुद्ध श्यामसुंदर द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई थी, जिसके संबंध में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जायल में प्रकरण संख्या 57/2013 बअनवान रामकरण वगैरह दर्ज होकर बाद विचारण निर्णय दिनांक 08.08.2018 को पारित किया गया था, जिसमें अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया था तथा उक्त प्रकरण में इकरारनामा दिनांक 25.03.2008 की मूल व छाया प्रति पेश की गई थी, जिस पर उक्त प्रकरण में प्रदर्श अंकित हुए थे, किंतु उक्त प्रकरण की पत्रावली नष्ट हो गई है, जिसके संबंध में केन्द्रीय पत्रावली प्रतिलिपि शाखा, सिविल न्यायाधीश नागौर से उक्त प्रकरण की पत्रावली तलफ (नष्ट) होने के संबंध में आदेश पेश किया गया है। ई–कोर्ट वेबसाईट से सरकार रामकरण वगैरह प्रकरण संख्या 57/2013 में जारी निर्णय की प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष डाउनलोड कर प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय में स्पष्टतया वादग्रस्त इकरारनामे का हवाला दिया गया तथा उक्त इकरारनामा प्रदर्शित भी हुआ है। गवाह जगदीश के पिता द्वारा उक्त दस्तावेज अपने पास रखे हुए थे, उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात मूल दस्तावेज बेचान लिखापढ़ी नहीं मिले। अतः ऐसी परिस्थितियों में उक्त इकरारनामा साक्ष्य में ग्राह्य है तथा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में शामिल किया जावें। जबकि विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा है कि भूखण्ड एवं तथाकथित पट्टो बाबत् कोई साक्ष्य/रिकॉर्ड मौजूद नहीं है एवं इकरारनामा व लिखापढ़ी का प्रकरण में	

अपर जिला एवं सेशन न्याय...

Scanned with OKEN Scanner

कोई संबंध नहीं है, ना ही ऐसे असल दस्तावेज नियमानुसार वाद दायर करने के दौरान पेश किये गए तथा आवेदन के साथ असल लिखापढ़ी व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है, केवलमात्र फोटोप्रति पेश की गई है, जो कि असल या द्वितीय प्रति की परिभाषा में नहीं आती, जिससे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, ना ही उक्त दस्तावेजात वाद से सुसंगत है तथा इनका सक्षम ऑथोरिटी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तथा ई-कोर्ट ऐप से डाउनलोड की गई प्रति पर कोई हस्ताक्षर व मोहर आदि नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। अंत में वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा अपने वाद के साथ ताराचंद द्वारा भूखण्ड संख्या 7 व 23 के संबंध में गवाह जगदीश के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 25.03.2008 पेश किया गया था। इसके पश्चात नोटेरी द्वारा उक्त इकरारनामे की अटेस्टेड कॉपी पेश की गई है तथा उक्त प्रति में सरकार रामकरण आदि, अनवान, मुकदमा नंबर 57/2013 एवं प्रदर्श पी-10 अंकित है तथा प्रार्थी द्वारा ई कोर्ट से डाउनलोड कर प्रस्तुत किए गए फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 57/2013 सरकार रामकरण आदि की प्रति में भी प्रदर्श पी- 10 मूल इकरारनामा को अभियोजन की ओर से प्रदर्शित करवाए जाने बाबत तथ्यों का उल्लेख किया हुआ है तथा उक्त दस्तावेज की प्रतिलिपि के संबंध में प्रतिलिपि शाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर में आवेदन करने पर न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश किया गया है कि इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली नष्ट हो गई है। अतः ऐसे में जाहिरा तौर पर प्रदर्श लगवाए गए दस्तावेज इकरारनामा की प्रति प्रदर्श पी-10 पत्रावली के साथ नष्ट हो गई है तथा मूल इकरारनामा के संबंध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कथन किए है कि उक्त इकरारनामा उसके पिता के पास होने तथा पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसे मिल नहीं रहा है। प्रार्थी के

12.05.25

अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश
जायल जिला नागौर राज.

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्यामसुंदर **बनाम** रामकरण दीवानी वाद संख्या 11/2014(17/2023) **पेज सं. 3/3**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामे की प्रति से होती है तथा यह भी प्रकट होता है कि दस्तावेज इकरारनामा प्रकरण संख्या 57/2013 में पेश हुआ था जिसका मुकदमा संख्या, अनवान, प्रदर्श आदि का मिलान निर्णय से भी होता है। अतः उक्त दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाकर प्रदर्श लगाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित होना प्रतीत होने से वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 29/09/25 को पेश हो।

12.09.25

अपर जिला न्यायाधीश,
जायल (नागौर)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जायल जिला नागौर राज.

Scanned with OKEN Scanner